प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 06 जून, 2018**

विषयः- के0जी0एम0यू0, लखनऊ में शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की संस्तुति पर भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पी0जी0 सीटों में की गयी बढोत्तरी/पाठयक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनुमन्य सीटों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3964/योजना/2017, दिनांक 29-7-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली की संस्तुति एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित पी0जी0 पाठयक्रमों (एम0डी0/एम0एस/एम0सी0एच0) में शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में सीटों की बढोत्तरी/पाठयक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के निम्नलिखित विभागों में संचालित पी0जी0 पाठयक्रमों (एम0डी0/एम0एस) में शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में सीटों की बढोत्तरी/पाठयक्रम प्रारम्भ किये जाने के आधार पर जूनियर रेजीडेण्ट के कुल 49 पदों (वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/-) को अस्थायी रूप से, दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, को सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

0	विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	Anatomy)	04
2	Physiology	14
3	Hospital Administration	02
4	Community Medicine	03
5	Pharmacology	12
6	Psychiatry	02
7	Physical Medicine & Rehabilitation	02
8	Obstetrics & Gynaecology (OBG)	10
	Total-	49

4- उक्त पदों की अर्हता एम0सी0आई0 के मानकानुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही निर्धारित नियमों एवं एम0सी0आई0 के मानकों के अनुसार की जायेगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1436/दस-2018, दिनांक- 04 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 94/2018/1648(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उ0प्र0। `
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।